जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 20 संख्याः 109 प्रभात जालोर, शनिवार 26 जुलाई, 2025 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिरी, 7 बच्चों की मौत, 28 घायल

मनोहरथाना के पिपलोदी में आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगाया व पुलिस की गाड़ियाँ तोड़ीं

- आठवीं कक्षा की छात्रा ने बताया कि छत से छोटे पत्थर व रेत गिरने लगी, शिक्षकों को बताया तो उन्होंने डांट कर बैठा दिया और खुद बाहर बैठकर पोहे-जलेबी का नाश्ता करने लगे, तभी इमारत भरभरा कर गिर गई और 35 बच्चे दब गये।
- आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतक व घायल बच्चों के परिजनों को मुआवज़ा तथा भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्यवाही की माँग की। शिक्षा विभाग ने पाँच शिक्षकों को निलम्बित किया।

झालावाड़, 25 जुलाई (निसं)। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई है, और 28 बच्चे घायल हो गए हैं, जिनमें से 9 की हालत गंभीर है। शुक्रवार सुबह मनोहरथाना ब्लॉक के पिपलोदी सरकारी स्कूल की इमारत ढह गई, जिसमें 35 बच्चे दब गए। ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मलबा हटाकर बच्चों को निकाला और अस्पताल पहुँचाया।

मनोहरथाना हॉस्पिटल के अनुसार, 5 बच्चों की मौत मौके पर ही हो गई थी, और 2 बच्चों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे को लेकर राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख जताया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, "इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित छात्रों और उनके परिवारजनों के साथ हैं।"

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट किया: "राजस्थान के झालावाड़ में एक स्कूल में हुई दुर्घटना दुखद और अत्यंत पीड़ादायक है। इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएं प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों के साथ हैं। घायल छात्रों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। प्रशासन प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता प्रदान कर रहा है।"

पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है, ग्रामीण सुबह से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके कारण कई रास्ते भी बंद किए गए। पिपलोदी गांव में मातम का माहौल है। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर अधिक समय नहीं रुके तथा पुलिस एवं स्थानीय लोगों ने ही मोर्चा संभाला।

गांव वालों ने बताया कि सुबह से बारिश हो रही थी। प्रार्थना का समय हुआ तो क्लासों के बच्चों को स्कूल के ग्राउंड में इकट्ठा करने के बजाय कमरे में बैठा दिया गया, ताकि वे भीगें नहीं। इसके कुछ ही देर बाद छत गिर गई और 35 बच्चे दब गए। गांव वालों ने बताया कि इस स्कूल में कुल 7 क्लासरूम हैं। हादसे के दौरान स्कूल के क्लासरूम में 71 बच्चे थे। स्कूल में 2 टीचर भी मौजूद थे, लेकिन छत गिरने के वक्त बिल्डिंग से बाहर थे और सुरक्षित हैं। दुर्घटना के समय स्कूल में मौजूद आठवीं क्लास में पढ़ने वाली वर्षा ने बताया कि जब छत गिरी, उस समय वह भी क्लासरूम के अंदर बैठी हुई थी। उसने देखा कि छोटे-छोटे पत्थर और रेत छत से गिरने लगे। उसने स्कूल में मौजूद शिक्षकों को बताया कि पत्थर गिर रहे हैं तो शिक्षकों ने डांट -फटकार कर अंदर बैठ जाने को कहा और शिक्षक बाहर बैठकर पोहे और जलेबी का नाश्ता करने लगे। इसी बीच इमारत भरभरा कर गिर गई और बच्चे दब गए।

आक्रोशित ग्रामीणों ने घटनास्थल के समीप मुख्यमार्ग के गुराड़ी चौराहे पर टायर जलाकर जाम लगा दिया तथा रास्ते पर विद्युत पोल डाल दिए और चौराहे पर ही धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे लोग एक करोड़ मुआवज़ा और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि इस हादसे में जिन बच्चों की जान गई है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। इसके लिए मृतक बच्चों के परिजनों को 1 करोड़ और घायल बच्चों के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। इसके अलावा, मृतक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की गई। ग्रामीणों ने भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की।

एक बार तो प्रदर्शनकारी अचानक उग्र हो गए और पुलिस की गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया, ड्राइवर गाड़ियां

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मानवाधिकार आयोग ने स्कूल भवन गिरने का प्रसंज्ञान लिया

जयपुर, 25 जुलाई। राज्य मानवाधिकार आयोग ने झालावाड़ में सरकारी स्कूल भवन गिरने से मासूमों की मौत के मामले में प्रसंज्ञान लिया है। इसके साथ ही, आयोग ने झालावाड़ जिला मजिस्ट्रेट, शिक्षा निदेशक, एसपी और डीईओ को नोटिस जारी किए हैं। आयोग ने इन अधिकारियों को कहा है कि घायलों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा दिलाई जाए। इसके साथ ही,

- आयोग ने दोषियों पर तुरंत कार्यवाही करने व पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति राशि दिलाने को कहा।

आयोग ने घटना के दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने, साथ ही पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति राशि दिलाने को कहा है। आयोग ने अधिकारियों से 7 अगस्त को प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग के समक्ष पेश करने को कहा हैं। आयोग अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने ये आदेश प्रकरण की प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट्स पर कार्रवाई करते हुए दिए।

आयोग ने कहा कि स्कूलों की छतों पर गंदगी साफ नहीं होने से हर साल मानसून में यहां पानी भर जाता है, जिससे छत धीरे-धीरे जर्जर हो जाती है। यह बड़े दुख की बात है कि स्कूल के भवनों का रखरखाव भी निश्चित समयावधि में ठीक से नहीं किया जाता। इसी के चलते इस स्कूल में छत गिरने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सोमवार से संसद में गतिरोध खत्म होगा?

बताया जाता है कि लोकसभाध्यक्ष द्वारा आहूत सर्वदलीय बैठक में यह समझौता हुआ है, विपक्ष व सरकार के बीच

- 28 जुलाई से लोकसभा में "ऑपरेशन सिंदूर" पर बहस होगी तथा राज्यसभा में भी बहस 29 जुलाई को आरंभ होगी तथा नौ घंटे का समय आवंटित है, राज्यसभा में इस बहस के लिए।
- शुक्रवार को दोपहर दो बजे बाद, दोनों सदनों में कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। जैसा कि विदित ही है, प्र.मंत्री मोदी शनिवार शाम तक विदेश यात्रा से लौटेंगे तथा संभवतया सोमवार से संसद की कार्यवाही में भाग लेंगे।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 जुलाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने संसद में चल रहे गतिरोध को समाप्त करने के लिए आज सभी दलों के सांसदों की बैठक बुलाई, क्योंकि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार विपक्षी सांसदों के विरोध के कारण स्थगित हो रही थी, विशेषकर बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर।

बैठक में बिड़ला ने सांसदों से संसद को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने सदन की गरिमा बनाए रखने और प्रश्नकाल तथा विधायी कार्यवाही को चालू रखने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उम्मीद है कि संसद में चल रहा गतिरोध सोमवार को समाप्त हो जाएगा।

बैठक में यह भी तय हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा 28 जुलाई से शुरू की जाएगी। लोकसभा में इसके लिए 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे निर्धारित किए गए हैं।

शुक्रवार को दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई, क्योंकि नाराज़ विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी, यहाँ तक कि निजी सदस्यों के कार्य दिवस पर भी चर्चा नहीं होने दी।

इस सप्ताह मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में कोई कार्यवाही नहीं हो पाई, जबकि राज्यसभा मंगलवार से स्थगित रही।

सत्र के पहले पाँच दिनों, 25 जुलाई तक, में कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकवादी हमला और बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की मांग को लेकर विरोध किया। उनका आरोप है कि मतदाता पुनरीक्षण से बड़ी संख्या में मतदाताओं की नागरिकता खतरे में पड़ सकती है।

बैठक में यह सहमति बनी कि सोमवार को सुबह 11 बजे से दोनों सदनों की कार्यवाही फिर से शुरू की जाएगी।

लोकसभा में 28 जुलाई से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होने की उम्मीद है, और राज्यसभा 29 जुलाई को इस पर विचार करेगी।

इस दौरान, सदन के भीतर और बाहर विपक्ष द्वारा उठाए गए मतदाता सूची पुनरीक्षण और विदेश नीति से जुड़े मुद्दों पर लगातार समन्वय और चर्चा जारी रही।

हालांकि तनाव अभी भी बना हुआ है, विपक्षी इंडिया गठबंधन ने अपनी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना और आंध्र की विधानसभा सीटें बढ़ाने की याचिका खारिज की

इन राज्यों ने माँग की थी, कि कोर्ट केन्द्र सरकार को परिसीमन शुरु करने के लिए निर्देश दे

- याचिकाकर्ता राज्यों का तर्क था कि केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में परिसीमन कराना तथा आंध्र व तेलंगाना को इससे बाहर रखना अविवेकपूर्ण, असंगत व संविधान विरूद्ध है।
- लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों में परिसीमन के नियम अलग हैं, इसलिए जम्मू-कश्मीर के साथ आंध्र व तेलंगाना में परिसीमन नहीं करना केन्द्र सरकार का पक्षपात पूर्ण कदम नहीं है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

यह फैसला न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सुनाया। यह रिट याचिका प्रोफेसर (डॉ.) के. पुरुषोत्तम रेड्डी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें केन्द्र को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 26 को लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि केवल नवगठित केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में ही विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन करना, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को इससे बाहर रखना, असंगत तथा अविवेकपूर्ण वर्गीकरण है और इसलिये यह संविधान के विरुद्ध है।

लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से की गई तुलना तथा भेदभाव की दलील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में परिसीमन से संबंधित प्रावधान अलग हैं, और इसलिए जम्मू-कश्मीर के लिए जारी परिसीमन अधिसूचना से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को बाहर रखना न तो मनमाना है और न ही भेदभावपूर्ण।

एसआई परीक्षा पेपर लीक मामले की सुनवाई 28 जुलाई को

जयपुर, 25 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट में एसआई भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में सुनवाई जारी है। अगली सुनवाई सोमवार 28 जुलाई को होगी।

सुनवाई के दौरान, शुक्रवार को जस्टिस समीर जैन की अदालत ने मामले की "इन-कैमरा" सुनवाई की। इस दौरान केस से जुड़े वकीलों के

- हाई कोर्ट में आरपीएससी सचिव से सवाल जवाब हुए।

अलावा अन्य किसी को अदालत कक्ष में रुकने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं, अदालती आदेश की पालना में आरपीएससी के सचिव पेश हुए। अदालत ने उनसे भर्ती को लेकर सवाल -जवाब किए।

गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट में बीते कई दिनों से प्रकरण में सुनवाई चल रही है। मामले में याचिकाकर्ता कैलाश चन्द शर्मा व अन्य का कहना है कि भर्ती परीक्षा का पेपर व्यापक स्तर पर लीक हुआ है और कई

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा में पेश नहीं होगा

हालांकि इस्तीफे से पहले सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष का महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था

- समझा जाता है कि धनखड़ के इस कदम के बारे में सरकार को जानकारी नहीं थी, कहा जाता है कि संभवतया इसीलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा।
- सूत्रों के अनुसार, सत्तारूढ़ पार्टी ने मानसून सत्र शुरु होने से पहले ही महाभियोग प्रस्ताव तैयार कर लिया था। भाजपा ने इस पर सर्व सम्मति बनाने क लिए विपक्षी दलों से भी से सम्पर्क किया था और कुछ विपक्षी सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए थे।
- चर्चा है कि महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में पेश होगा और स्पीकर बिड़ला एक जाँच कमेटी बनाएंगे, कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही वे तय करेंगे कि महाभियोग की सिफारिश की जाए या नहीं।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 जुलाई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ नकदी घोटाले को लेकर लाया गया महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा में स्वीकृत नहीं हुआ, हालांकि राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने इसकी अनुमति दे दी थी।

अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला एक समिति का गठन करेंगे, जो न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करेगी और, यदि पर्याप्त आधार मिला, तो महाभियोग की सिफारिश करेगी।

सूत्रों के अनुसार, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, जिनके दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यरत रहने के दौरान उनके आवास से मार्च में जली हुई नकदी के ढेर बरामद हुए थे, के महाभियोग की कार्यवाही को अब लोकसभा में सरकार द्वारा लाये जाने वाले प्रस्ताव के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा।

सूत्रों का कहना है कि पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के तत्कालीन सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा स्वीकार किए गए विपक्ष समर्थित महाभियोग प्रस्ताव को अब खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि इसे औपचारिक रूप से सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया था। सूत्रों के अनुसार, धनखड़ के इसी कदम से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नाराज़ हो गई थी और इसी वजह से धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा था।

महाभियोग की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ाई जाये, ताकि विपक्ष को "भ्रष्टाचार-विरोधी मुहिम" का लाभ लेने से वंचित किया जा सके, इसके लिये बुधवार को सरकार ने एक मीटिंग की।

सूत्रों का कहना है कि भाजपा स्वयं को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर सख्त रुख दिखाने के मामले में (विपक्ष से) आगे दिखाना चाहती है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव, इस वर्ष बिहार में और अगले साल बंगाल व तमिलनाडु में, से पहले भ्रष्टाचार-विरोधी संदेश दिया जा सके।

सत्तारूढ़ पार्टी ने 21 जुलाई, सोमवार से शुरु हुए संसद के मानसून सत्र से पहले ही महाभियोग प्रस्ताव तैयार कर लिया था। भाजपा ने विपक्षी दलों से संपर्क भी साधा था, ताकि सर्वदलीय सहमति बन सके, और कुछ विपक्षी सांसदों ने सरकार के उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी कर दिये थे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

धनखड़ को विदाई भोज देगा विपक्ष

नई दिल्ली, 25 जुलाई। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार (21 जुलाई, 2025) को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपतिद्रौपदी मुर्मूको अपना त्याग पत्र भेजकर तत्काल पद छोड़ने की बात

- पर, धनखड़ विपक्ष का न्यौता स्वीकार करेंगे, इसके बारे में अभी कुछ भी तय नहीं है।

कही थी। उनके इस अचानक लिए गए फैसले ने सत्ता पक्ष और विपक्ष में सभी को चौंका दिया।

इस बीच विपक्षी दलों ने जगदीप धनखड़ को फेयरवेल डिनर के लिए आमंत्रित किया है। विपक्षी दलों ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

"उदयपुर फाइल्स" को सशर्त रिलीज़ की अनुमति मिलेगी?

केन्द्रीय सरकार ने पिक्चर को पुनः देखकर कुछ परिवर्तन की सलाह दी थी

- ये परिवर्तन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रोड्यूसर को पुनः हाई कोर्ट जाने के आदेश दिये।
- पिक्चर की रिलीज़ के खिलाफ याचिका दायर करने वाले जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मदनी ने इस सशर्त रिलीज़ को भी चुनौती देने की बात कही है।
- फिल्म में प्रोड्यूसर के अधिवक्ता ने पिक्चर के खिलाफ और आगे स्थगन आदेश देने का विरोध किया।
- अधिवक्ता के अनुसार, मदनी सुपर सैंसर जैसे व्यवहार कर रहे हैं।
- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कांत ने इस पर कटाक्ष किया कि प्रोड्यूसर को लाभ ही हो रहा है, मुकदमा चलते रहने से, उसकी पिक्चर को पब्लिसिटी ही मिल रही है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह हिंदी फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सोमवार से सुनवाई शुरू करे।

यह निर्देश केन्द्र सरकार द्वारा कुछ संशोधनों के साथ फिल्म की रिलीज़ की अनुमति देने के बाद दिया गया। फिल्म उदयपुर के दर्जी कन्हैयालाल की दिन दहाड़े की गई नृशंस हत्या पर आधारित है, जिसमें उन्हें भाजपा नेताओं के भाषणों पर आधारित नारे लगाते हुए दिखाया गया है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे पहले हाईकोर्ट में अपनी याचिका रखें, क्योंकि फिल्म निर्माता केन्द्र सरकार के आदेश से संतुष्ट हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका आगे नहीं बढ़ाना चाहते।

कोर्ट ने टिप्पणी की:

"पहले हाईकोर्ट जाइए, वहां बहस कीजिए और फिर ज़रूरत हो तो यहां आइए। अब फिल्म निर्माता कह रहे हैं कि वे संतुष्ट हैं और याचिका वापस लेना चाहते हैं, तो आप लोग भी हाईकोर्ट जाइए। हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं?"

फिल्म की रिलीज़ के पक्ष और विपक्ष में याचिकाएं दायर की गई थीं।

फिल्म निर्माता ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाई गई थी और केन्द्र सरकार को इसकी पुनः समीक्षा करने के लिए कहा गया था।

बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को फिल्म की जांच करने की अनुमति दी। इसके तहत नियुक्त एक पैनल ने कुछ संशोधन सुझाए, जिनके बाद सरकार ने रिलीज़ को मंज़ूरी दी।

फिल्म के विरोध में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और कन्हैयालाल हत्या मामले के एक आरोपी मोहम्मद जावेद ने याचिकाएं दायर की थीं।

अब उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा दी गई मंज़ूरी को चुनौती देने की घोषणा की है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (मदनी की ओर से) और मेनका गुरुस्वामी (जावेद की ओर से) ने कहा कि वे इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।

ज्ञातव्य है कि कन्हैयालाल की जून 2022 में दो लोगों ने हत्या कर दी थी, जब उन्होंने भाजपा नेता नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान का समर्थन करते हुए एक वॉट्सऐप स्टेटस डाला था।

'उदयपुर फाइल्स' को पहले 11 जुलाई को रिलीज़ किया जाना था।

रिलीज़ से कुछ दिन पहले मौलाना मदनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, उन्होंने कहा कि यह फिल्म मुस्लिम समुदाय को बदनाम करती है।

हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाई, ताकि सरकार सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की धारा 6 के तहत अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग कर सके।

इस रोक को चुनौती देते हुए फिल्म निर्माता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने मामला फिर से हाईकोर्ट को सौंप दिया है।

फिल्म निर्माता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने आगे कोई रोक लगाने का विरोध करते हुए कहा: "सुप्रीम कोर्ट हमेशा ऐसी रोक को हटाता रहा है। क्यों फिर से रोक लगे?

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विपक्ष ने संसद परिसर में मार्च निकाला

नयी दिल्ली, 25 जुलाई। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का विरोध करते हुए शुक्रवार को संसद भवन

- इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका सहित कई बड़े नेता शामिल हुए और इन्होंने बिहार मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ नारे लगाए।

परिसर में मार्च निकाला।

विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रिपता महात्मा गांधी की प्रतिमा से संसद भवन के 'मकर द्वार' तक मार्च निकाला। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता एवं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)